

(क) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत कच्ची दरगाह, पटना में मुसाफिरखाना का निर्माण कराया गया था;	स्वीकारात्मक
(ख) क्या यह सही है कि मुसाफिरखाना का निर्माण श्रद्धालुओं को सुविधा पहुंचाना था;	स्वीकारात्मक
(ग) क्या यह सही है कि विगत कई वर्षों से कुछ अवांक्षित तत्व कच्ची दरगाह स्थित दोनों मुसाफिरखाना (पूरब और पश्चिम) पर अवैध कब्जा किये हुये हैं जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती है;	वस्तुस्थिति यह है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी के पत्रांक-2287 दिनांक-09.09.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त मुसाफिरखाना पर अवैध कब्जा एवं अस्थायी रूप से किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है। कच्ची दरगाह स्थित दोनों मुसाफिरखाना (उत्तर एवं दक्षिण) में आम दिनों में श्रद्धालु रात्रि विश्राम नहीं करते है। दोनों मुसाफिरखानों के कुछ भाग में दरगाह के प्रबंध में शामिल पुश्तैनी लोग रहते है एवं उत्तर मुसाफिरखाना के उपरी तल पर नदी थाना, फतुहां के स्टाफ रहते है, जिन्हें खाली करने हेतु सभी संबंधितों को जिला पदाधिकारी, पटना के द्वारा निदेशित कर दिया गया है।
(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कब तक मुसाफिरखाना से अवैध कब्जा हटाना चाहती है, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिल सकें ?	उपरोक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

ज्ञापांक-अ०सं०क० 10-10 (वक्फ)09/2023

दिनांक-

प्रतिलिपि-अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को प्रो० गुलाम गौस, मा०स०वि०प० के तारांकित प्रश्न सं०-01/206/98 (एम डब्लु-1) के आलोक में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-अ०सं०क० 10-10 (वक्फ)09/2023

दिनांक-

प्रतिलिपि-उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

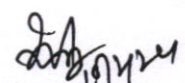
ह०/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-अ०सं०क० 10-10 (वक्फ)09/2023 478

दिनांक-10.02.2024

प्रतिलिपि-श्री एस० इकरामुल्लाह, प्रशाखा पदाधिकारी-08/आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव